मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 (पौष 1, 1943)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का चौदहवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री** -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 90 वां एवं 91 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018,

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्तीय वर्ष 2020-2021 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण,

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्न अधिसूचनाएं -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-58-2015-1-पांच (79), दिनांक 4 नवम्बर, 2021 एवं

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-58-2015-1-पांच (80), दिनांक 4 नवम्बर, 2021, तथा

(घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75-क की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–बी-04-02-2021-2-पांच-(03), भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2021,

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री**, वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री**, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 30 (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2-2020-सात-शा.7, दिनांक 24 नवम्बर, 2021, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित किया गया, पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री** -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) का 59 वां वार्षिक विवरण वर्ष 2020-2021, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार -

(i) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला छतरपुर, सीधी, झाबुआ, नीमच, धार, बालाघाट, अलीराजपुर, बैतूल एवं दमोह का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला सागर, सीधी, ग्वालियर, नीमच एवं दमोह का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री**, मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

(ख) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(10) **डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री** -

(क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार -

(i) म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-2021,

(ii) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-2021,

(iii) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021, तथा

(iv) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-2021,

पटल पर रखेंगे.

(11) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के नियम 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(12) **श्री राजवर्द्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अन्तिम लेखे, एवं

(ख) एम.पी.इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2017-2018

पटल पर रखेंगे.

(13) **श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी.लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **सर्वश्री पी.सी. शर्मा, आरिफ अकील, कमलेश्वर पटेल**, सदस्य, भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों में खपत से अधिक राशि के विद्युत बिल दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री जालम सिंह पटैल**, सदस्य, नरसिंहपुर जिला विपणन सहकारी समिति में गवन के दोषी पदाधिकारियों से वसूली की कार्यवाही न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. सतीश सिकरवार, श्री आरिफ अकील**, सदस्य, प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया**, सदस्य, लेबड़-नयागांव सड़क निर्माण में शर्तों के अनुसार कार्य न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, याचिका समिति का अभ्यावेदनों से संबंधित पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

- 3 -

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री संजय यादव**, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम कोहला एवं घटपिपरिया के स्कूलों का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(2) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल**, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम सारंगपुर से प्रधानमंत्री सड़क का मुख्य मार्ग तक निर्माण कराये जाने,

(3) **डॉ. सतीश सिकरवार**, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड-19 में यूनीपेच फैक्ट्री माता मंदिर से नाना नगर की बस्ती एवं विजय लक्ष्मी बिहार की बस्ती तक सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(4) **कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर (भिड़ौसा)**, सदस्य, मुरैना जिले के ए.बी. रोड़ से सबलगढ़ एवं ए.बी. रोड़ से उदोटगढ़ तक नहर की पट्टी पर सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(5) **कुंवर विक्रम सिंह**, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम ललगुवां तिराहे से गोरा-राजनगर चौराहे तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री रामपाल सिंह**, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज अंतर्गत मरखेड़ा टप्पा उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,

(7) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक**, सदस्य, कटनी जिले की तहसील बरही के सामुदायिक अस्पताल का 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किये जाने,

(8) **श्री पी.सी. शर्मा**, सदस्य, भोपाल शहर के राजहर्ष सोसायटी एक्सीलेंस कालेज के पास के रहवासियों के आवागमन हेतु रास्ता खुलवाये जाने,

(9) **श्रीमती कृष्णा गौर**, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड- 61 अमृतपुरी कॉलोनी नन्ही उड़ान स्कूल के गेट से मकान नं.-2 तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री पंचूलाल प्रजापति**, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पंचायत डगरदुआ से गोदरी नं. 27 तक की रोड को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने,

(11) **श्री देवेन्द्र वर्मा**, सदस्य, खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर से सिद्धवरकूट आवागमन हेतु छोटे पुल का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री शैलेन्द्र जैन**, सदस्य, सागर शहर के तिलकगंज वार्ड में महेन्द्र मिल से दुलारे के बगीचे तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री प्रहलाद लोधी**, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बड़खेराकलां नदी के किनारे घाट निर्माण कराये जाने,

(14) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी**, सदस्य, दमोह जिले के जबेरा अंतर्गत इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री संजय शर्मा**, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम सगरा से पनारी तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय**, सदस्य, दमोह जिले के हटा अंतर्गत खेल स्टेडियम बनाये जाने,

(17) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा**, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत ठाठीपुरा के जंगल में ईश्वर महादेव मंदिर पर नवीन सड़क स्वीकृत कराये जाने,

(18) **श्री जालम सिंह पटेल**, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बारहा में हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(19) **श्री दिलीप सिंह परिहार**, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पंचायत हरनावदा से राबड़िया तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री महेश परमार**, सदस्य, उज्जैन जिले की नेवज नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री ग्यारसीलाल रावत**, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम झिरीजामली से पांजरिया ढाबा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री प्रणय प्रभात पांडे**, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सिमराकला के आवास टोला से निकलने वाली 11 के.व्ही. विद्युत लाईन को किसी अन्य जगह स्थानांतरण करने,

(23) **श्री शरदेन्दु तिवारी**, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम गुजरेड से P1170-1172 अगरी तक रोड निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री राजेश कुमार प्रजापति**, सदस्य, छतरपुर जिले के पलटा शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(25) **श्री राज्यवर्धन सिंह**, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ अंतर्गत नगर तलेन में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ कराये जाने,

(26) **श्री प्रताप ग्रेवाल**, सदस्य, धार जिले के ग्राम मौलाना, गंगातलाई एवं खोखडियामाल में सुदूर सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री रामचन्द्र दांगी**, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंतर्गत नगर सुठालिया में गौशाला निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने,

(28) **श्री तरबर सिंह**, सदस्य, सागर जिले के ग्राम चौका (भेड़ा) में बेवस नदी पर बने स्टाप डेम का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री हर्ष यादव**, सदस्य, सागर जिले के समनापुर जलाशय की नई नहर से रसेना तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(30) **श्री सुनील सराफ**, सदस्य, अनूपपुर जिले के कोतमा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने,

(31) **श्री अजय कुमार टंडन**, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम ग्वारी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री सुरेश राजे**, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मिलघन से चितावनी तक पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने,

(33) **श्री राकेश गिरि**, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ककरवाहा पिकअप वियर सिंचाई योजना स्वीकृत किये जाने,

(34) **श्री मनोज चावला**, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम माऊखेड़ी में रामसिंह दरबार मगरे पर निर्मित खेल स्टेडियम को विकसित कराये जाने,

(35) **इंजी. प्रदीप लारिया**, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत परसोरिया में कौशल विकास केन्द्र (आई.टी.आई.) की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री, दिनांक 11 अगस्त, 2021 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 824) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री**, मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) **श्री प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री**, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 36 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, एवं 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार, इकहत्तर करोड़, चौरानवे लाख, उनचास हजार, छह सौ पैंतालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

2 घण्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री**, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) **डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (4) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 दिसम्बर, 2021.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.